रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY
प्राधिकार से प्रकाशित

सं० 532] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 1980/अग्रहायण 4, 1902
No. 532] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 1980/Agrahayana 4, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1980

का० आ० 922(अ).—18क(क) / ओ० वि० वि० अ०/80.—केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 775 (अ), दिनांक 12 सितम्बर, 1980 के आंशिक उपान्तरण में एतद्द्वारा रतलाम जिले के जिलाधीश को मैसर्स त्रि जौरा शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जौरा, जिला रतलाम का प्रबन्ध तुरन्त ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा० सं० 4(12)/80 सी० यू० एस०]
आर० एन० चोपड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 25th November, 1980

S.O. 922(E).—In exercise of the powers conferred by section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) and in partial modification of the Order of the Government of India in the Ministry of Industry No. 775(E) dated 12th September, 1980, the Central Government hereby authorises with immediate effect, The Collector, Ratlam District, Ratlam to take over the management of Messrs. Jaora Sugar Mills Private Limited, Jaora.

[File No. 4(12)/80-Cus.]

R. N. CHOPRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980